15.01 hrs.

Title: Discussion on the Railway Companies (Substitution Of Parties In Civil Proceedings) Repeal Bill, 2001 (Bill passed)

MR. SPEAKER: We shall now take up item no. 10 − Railway Companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings) Repeal Bill.

Shri O. Rajagopal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI O. RAJAGOPAL): I beg to move:

> "That the Bill to repeal the Railway Companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings) Act, 1946, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to repeal the Railway Companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings) Act, 1946, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Sir, I support the Bill and I want to bring some other issues which relate to ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have to speak on this Bill.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Please allow me to speak. Otherwise, I shall sit down.

MR. SPEAKER: Now, Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत शासन के अधिनियम में 35वें गवर्नर जनरल का प्रावधान पक्षकार में था, उसके स्थान पर डॉमिनियन को रखा गया। अब जो संविधान बना उसके आर्टिकल 300 में डॉमिनियन के स्थान पर केन्द्र सरकार का प्रतिस्थापन हुआ। संविधान की धारा 300 के हिसाब से पुराने कानून का कोई मतलब नहीं है। हमारा संविधान 1950 में बना, लागू हुआ, लेकिन 51 वर्ा के बाद इस कानून को लाया गया। इन्हें अब अहसास हुआ कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। केन्द्र ने कानूनों की संख्या 2500 बना कर रखी है। â€¦(व्यवधान) सैंटर में ऐसे 2500 कानून हैं। हम लोगों की सरकार के समय जैन कमीशन बना और उसने कहा कि 1324 कानून रद्द किये जाएं। अब जो कानून आप ला रहे हैं, क्या वह एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। 1998 में बताया गया कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है। सैंटर के 2500 कानून हैं। सैंटर के कानूनों को घटाया जाए और 1324 कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। फिर भी आप दो कानून लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि हम वैशाली को रेल के माध्यम से बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ेंगे। वैशाली भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गंणतंत्र की जन्मभूमि है। केसरिया में दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध का स्तूप इनके क्षेत्र में निकला है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे। मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया है।â€¦(व्यवधान) मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बुद्धिस्ट सर्किट को रेल लाईन से हम जोड़ेंगे, हाजीपुर, सुगौली, वैशाली, केसरिया होते हुए, हाजीपुर से सुगौली रेल लाईन है।â€¦(व्यवधान) इसका सर्वेक्षण भी हुआ था। पासवान जी ने उसका शिलान्यास किया। उसमें शिथिलता क्यों हो रही है, सरकार उसे न करने के लिए क्यों अड़ी हुई है? यह इतना ऐतिहासिक अंतर्राट्रीय पर्यटन स्थल है, जिसे टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए रेल लाईन से जोड़ना अनिवार्य है।

दुनिया भर में सबसे पहले, आज से 2500 वर्ा पहले लिच्छवी वंश में लोकतंत्र ने जन्म लिया था, उस स्थान को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिये। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों माननीय रेल मंत्री जी उसमें ढिलाई बरत रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल का निरसन किया जाये, खारिज किया जाये और इसको खत्म किया जाये लेकिन नई रेल लाइन बिछाने का यहां प्रबंध जरूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू आप इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज़ कर रहे हैं?

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, this Bill deals with the substitution of Governor-General in Council in certain civil proceedings. After the acquisition by the Government of certain Railways and consequent assumption of responsibility for their contractual obligations while succeeding to all those rights, the Government of India Act, 1935 has provided the substitution of Dominion of India in place of Governor-General in Council in all the contracts, legal proceedings, including suits, appeals, etc. The Constitution of India further vide article 300(2)(a) specifically provides that if any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings. After the said substitution, the Railway Companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings Act), 1946 becomes redundant automatically. Therefore, this Repeal Bill has been brought forward. I seek the approval of the House to uphold the Bill.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to repeal the Railway companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings) Act, 1946, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

SHRI O. RAJAGOPAL: I beg to move:

"That the Bill be passed. "

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.